

**पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
(पूर्वांचल विद्युत भवन, विद्युत नगर, डी०एल०डब्ल्यू०, वाराणसी-221004)

**सार्वजनिक सूचना**

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, द्वारा वर्ष 2019-20 का टू-अप, वर्ष 2020-21 का ए०पी०आर० एवं वर्ष 2021-22 का सकल राजस्व आवश्यकता याचिका दिनांक 22.02.2021 को मा० आयोग में प्रस्तुत की गई थी।

मा० आयोग ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली है। मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य बिन्दु उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

| क्र०सं० | विवरण  | वित्तीय वर्ष | वित्तीय वर्ष | वित्तीय वर्ष |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|
|         |  | 2019-20      | 2020-21      | 2021-22      |
|         |  | टू-अप        | ए०पी०आर०     | ए०आर०आर०     |
| 1       | वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)           | 24188.23     | 26584.16     | 28705.56     |
| 2       | ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)                              | 21237.26     | 21480.00     | 23538.56     |
| 3       | अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)                    | 12.20%       | 11.83%       | 11.36%       |
|         | वास्तविक / प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)       | 20.32%       | 19.20%       | 18.00%       |
| 4       | इन्द्रा स्टेट पारेषण हानियाँ (%)                   | 3.43%        | 3.40%        | 3.33%        |
|         | व्यय (रु० करोड़)                                   |              |              |              |
| 5       | ऊर्जा क्रय मूल्य (पी०जी०सी०आई०एल० सम्मिलित)        | 13444.13     | 12968.38     | 15279.81     |
| 6       | ट्रांसमिशन चार्ज (यू०पी०पी०टी०सी०एल०)              | 804.03       | 632.70       | 683.19       |
| 7       | परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)   | 2090.15      | 2156.39      | 2529.03      |
| 8       | ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)      | 737.76       | 650.23       | 668.08       |
| 9       | इस   | 243.17       | 383.35       | 460.63       |
| 10      | बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स                            | 164.61       | 313.41       | 356.87       |
| 11      | सकल खर्च   | 17483.83     | 17104.47     | 19977.60     |
| 12      | रिटर्न ऑन इक्विटी                                  | 476.32       | 588.65       | 673.82       |
| 13      | घटायें अन्य आय                                     | 284.31       | 12.57        | 12.57        |
| 14      | घटायें ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से राजस्व            | 0.57         | 0.57         | 0.57         |
| 15      | सकल राजस्व आवश्यकता                                | 17675.27     | 17679.97     | 20638.28     |
| 16      | टैरिफ से प्राप्त राजस्व                            | 11641.41     | 12345.94     | 14518.59     |
| 17      | राजकीय सहायिकी                                     | 3289.09      | 2354.07      | 3778.92      |
| 18      | राजस्व (अन्तर)/अतिरिक्त (वर्तमान टैरिफ पर)         | (2,744.77)   | (2,979.95)   | (2,340.77)   |
| 19      | ऊर्जा क्रय दर (बसवार पर) (रु०/यूनिट)               | 4.25         | 4.37         | 4.60         |
| 20      | औसत विद्युत ऊर्जा क्रय दर (बी०एस०टी०) (रु०/यूनिट)  | 4.89         | 4.99         | 5.41         |
| 21      | डी०बी०एस०टी० दर (रु०/यूनिट)                        | 0.00         | 4.88         | 5.32         |
| 22      | औसत विद्युत दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रु०/यूनिट) | 5.48         | 5.75         | 6.17         |
| 23      | औसत विद्युत लागत (रु०/यूनिट)                       | 8.32         | 8.23         | 8.77         |
| 24      | कीलिंग चार्ज (रु०/यूनिट)                           |              |              | 1.32         |

लाइसेन्सी द्वारा मा० आयोग से उ०प्र० शासन के पत्रांक 445/24-1-21/731(बजट)/2020 दिनांक 05.03.2021 के आधार पर वर्ष 2019-20 के टू-अप एवं वर्ष 2021-22 की ए०आर०आर० को अनुमोदित करते समय पूर्व डिसएलॉओसेस के विरुद्ध उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। मा० आयोग से सरलीकृत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के प्रस्ताव के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण करने तथा उ०प्र० शासन द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब हेतु सूचित की जाने वाली शासकीय सहायिकी को पृथक रूप से अंकित करने का अनुरोध किया गया है। शासकीय सहायिकी रहित रेट-शिड्यूल प्रस्ताव हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मध्य क्रॉस सब्सिडी की

आवश्यकता है तथा मा0 आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी का रोड-मैप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। तदनुसार मा0 आयोग द्वारा क्रास सब्सिडी के अनुमोदित रोड-मैप के अनुसार शासकीय सहायिकी रहित टैरिफ निर्धारण किया जा सकता है।

टू-अप, ए0पी0आर0 एवं ए0आर0आर0 याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसेन्सी नोट एवं कार्यवृत्त दिनांक 01.04.2021 के प्रत्युत्तर के साथ, निगम की वेबसाइट ([www.puvvnl.up.nic.in](http://www.puvvnl.up.nic.in)) पर उपलब्ध है। समस्त स्टोक-होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञापितधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियों प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल विद्युत भवन, विद्युत नगर, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी-221004 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक  
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0

राष्ट्रहित में बिजली बचाये